न्यायालय राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 1028–तीन/02 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–10–2000 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 84/95–96/अपील.

———

1– भारेशाह
2– टुण्डेलाल
3– रामनाथ
पुत्रगण सुखलाल
4– कसोले
5– छिद्दीलाल
6– शंकर
7– लक्ष्मण
पुत्रगण फुन्दीलाल
8– रामश्री पत्नी हरीराम
9– संतोष
10– सूरज
अव्यस्क पुत्रगण हरीराम
संरक्षक मां खुद
समस्त निवासीगण ग्राम बगियापुरा
तहसील रौन जिला भिण्ड ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्यामलाल
2– बैजूलाल
पुत्रगण रब्दे
निवासीगण ग्राम नकारा तहसील मिहोना
जिला भिण्ड
3– जयश्रीराम पुत्र सुखलाल
निवासी ग्राम बगियापुरा तहसील रौन
जिला भिण्ड ——— अनावेदकगण

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ओ.पी. शर्मा ।

अनावेदक कं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. तिवारी

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 10-3-15 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 84/95–96/अपील में पारित आदेश दिनांक 31–10–2000 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बगियापुरा स्थित विवादित भूमि के भूमिस्वामी गोपाल व नाथूराम आत्मज करन्जू थे । उनके लावल्द फोत हो जाने के कारण वारिसाना आधार पर विचारण नयालय द्वारा अनावेदक जयश्रीराम का नामांतरण दिनांक 8–2–81 द्वारा प्रमाणित किया गया । इस आदेश से दुखी होकर अनावेदक श्यामलाल द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष अपील पेश की गई । एस.डी.ओ. द्वारा आदेश दिनांक 2–6–95 द्वाराअपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क. 1 एवं 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई जिसमें उन्होंने आलोच्य आदेश पारित करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत गुणदोषों के आधार पर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हें कि अपर आयुक्त का आदेश रिकार्ड के विपरीत है । उनके समक्ष अपील आवेदकों को पक्षकार बनाए बिना पेश की गई थी जबकि वे एस.डी.ओ. के समक्ष आवेदकगण पक्षकार थे, अतः उन्हें पक्षकार बनाए बिना अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होकर निरस्ती योग्य है ।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदक क. 1 एवं 2 द्वारा एस.डी. ओ. के समक्ष अपील 13 वर्षों बाद पेश की थी जो समयावधि के बाहर थे उसे समयावधि में मानने में अपर आयुक्त ने त्रुटि की है । दूसरे प्रकरण के आधार पर अनावेदकों की अपील समयावधि में मानने का कोई औचित्य नहीं है । दोनों प्रकरणों के तथ्य एवं परिस्थितियां भिन्न थी और प्रत्येक प्रकरण का निराकरण उनकी परिस्थितियों के आधार पर करना चाहिए था । अंत में यह कहा गया कि एस.डी.ओ. का आदेश गुणदोष पर नहीं था । अतः अपर आयुक्त द्वारा गुणदोष पर निर्णय करना अनुचित है ।

4/ अनावेदक क. 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ आवेदक अधिवक्ता एवं अनावेदक क. 2 के अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । विचारण न्यायालय में यह प्रकरण मूल भूमिस्वामी के कोई वारिस न होने के आधार पर नामांतरण में संबंध में चला । अनुविभागीय अधिकारी के यहां 2 अपीलें हुईं । एक में उन्होंने प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया और दूसरी अपील में जो इसी भूमि से संबंधित थी उसे अवधि बाह्य मानकर निरस्त कर दिया । प्रकरण में इसके विरूद्ध अपर आयुक्त के यहां अपील की गई जिसमें उन्होंने यह पाया कि एक ही पीठासीन अधिकारी ने एक ही तथ्यात्मक प्रकरण में 2 विभिन्न निर्णय पारित किए हैं और राजस्व निरीक्षक ने जो अविवादित प्रकरण मानकर आदेश पारित किया था उसके संबंध में अभिलेख के आधार पर यह पाया कि प्रकरण विवादित था और राजस्व निरीक्षक के क्षेत्राधिकार से बाहर था इस कारण अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण प्रत्यावर्तित किया था लेकिन दूसरी अपील में उन्होंने इन बिंदुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया और अवधि के आधार पर प्रकरण निरस्त किया है । अपर आयुक्त का यह कहना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवधि के प्रश्न पर उदार रूख अपनाने के लिए कहा गया है और इस कारण क्षेत्राधिकार रहित आदेश को अवधि के आधार पर स्थिर रखे जाने को उन्होंने उचित नहीं पाया है और प्रकरण में मृतक भूमिस्वामी के विधिक उत्तराधिकारियों के संबंध में जांच करके उभयपक्षों को साक्ष्य और सुनवाई का अवसर देने के उपरांत गुणदोषो के आधार पर प्रकरण के निराकरण के आदेश दिए हैं । अपर आयुक्त का आदेश न्यायिक आधारों पर होकर न्यायिक प्रकिया के अनुकूल है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

परिणामस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर